प्रकाशन के लिए स्वीकृत

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

2021 की रिट अपील संख्या **222**

रोमान्च राम यादव पिता विद्याधर राम यादव उम्र लगभग 55 वर्ष

निवासी ग्राम जयकारी, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर नगर (छ.ग.)

----अपीलकर्ता

बनाम

01. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

02. जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

03. प्रधान अध्यापक दुर्गा कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयकारी, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)

04. अध्यक्ष, लक्ष्मी कुमारी सेवा समिति, जशपुर नगर, जिला जशपुर नगर (सी.जी.)

--- उत्तरवादीगण

(उभयपक्ष का नाम केस सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मीना शास्त्री अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक-01 एवं 02 की ओर से श्री सुदीप अग्रवाल उप महाधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 की ओर से श्री ए.के.प्रसाद अधिवक्ता ।

सुनवाई तिथि-10.11.2021

निर्णय तिथि-10.12.2021

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश

सीएव्ही निर्णय

अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

01- यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (एस) क्रमांक 7080/2007 में पारित दिनांक 07.07.2021 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर बहाली के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार न करते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 02 से 04 को निर्देश जारी किया गया था कि यदि 30 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो दिनांक 01.01.1996 से जुलाई, 2001 तक की अवधि के लिए वेतन के भुगतान पर विचार किया जाए, ऐसे अभ्यावेदन का एक तर्कपूर्ण और तर्कसंगत आदेश द्वारा निपटारा किया जाए और यह निर्दिष्ट किया जाए कि याचिकाकर्ता ने उस अवधि के दौरान स्कूल में काम किया था या नहीं।

02- अपीलकर्ता का मामला, रिट याचिका में बताये अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्गा कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयकारी एक पंजीकृत संस्था है, जिसका नाम और शैली 'लक्ष्मी कुमारी सेवा समिति, जशपुर नगर' है और उक्त विद्यालय एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है। उनके आवेदन पर, चूंकि उनके पास शिक्षक के पद के लिए अपेक्षित योग्यता थी, इसलिए उसे दिनांक 01.01.1996 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था और उत्तरवादी क्रमांक-02, जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर ने दिनांक 04.09.1999 के आदेश द्वारा 06.06.1996 से उनकी सेवा को नियमित कर दिया था। किन्तु वह दिनांक 02.07.2001 तक काम करती रही, दिनांक 03.07.2001 से लेकर आज तक उन्हें उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया और उसका नाम भी उस रजिस्टर में दर्ज नहीं था और परिणामस्वरूप उन्हें कोई शिक्षण कार्य नहीं दिया गया। हालांकि बार-बार अभ्यावेदन किये जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसलिए अपीलार्थी ने उक्त रिट याचिका प्रस्तुत कर को उसे बहाल करने और 01.01.1996 से उनकी बहाली तक बैंक ब्याज दर पर ब्याज दिलाते हुए वेतन प्रदान करने की अनुतोष की मांग किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03- उत्तरवादी क्रमांक-03 प्रधान अध्यापक ने लिखित में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब एवं लापरवाही की गई है, के आधार पर उक्त रिट याचिका निरस्त किया जावे, तथा उसने अपने शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता को विज्ञान

शिक्षक के स्वीकृत पद के अनुदान की प्रत्याशा में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि स्वीकृत नहीं था और इस प्रकार अपीलकर्ता को एक गैर-मौजूद पद पर नियुक्त किया गया था। विज्ञान/गणित शिक्षक के केवल तीन स्वीकृत पद थे जो सभी भरे गए थे, उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया था और न ही अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई थी। जब पद स्वीकृत नहीं था, तो अपीलकर्ता को स्कूल न आने के लिए कहा गया था। शपथपत्र में आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के नियमितीकरण आदेश में यह कहा गया है कि यदि नियुक्ति गैर स्वीकृत पद पर हुई है या राज्य सरकार के 100 सूत्री रोस्टर का पालन नहीं किया गया है तो नियमितीकरण आदेश निरस्त माना जाएगा। दोनों शर्तें पूरी नहीं होने के कारण नियमितीकरण आदेश का कोई महत्व नहीं है। यह भी कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी का वेतन वितरित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

04- उत्तरवादी क्रमांक-04 लक्ष्मी कुमारी सेवा समिति के द्वारा भी एक प्रतिउत्तर शपथपत्र, जो कि उत्तरवादी क्रमांक-03 के शपथपत्र के समान है, में यह कहा गया है कि स्कूल एक मिडिल स्कूल है जिसमें कक्षा 06 से 08 तक की पढ़ाई होती है, इसमें केवल 60 छात्र थे और तीन स्वीकृत पद भरे हुए थे और इस तरह, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पद स्वीकृत न किए जाने के कारण अपीलकर्ता को सेवा में नियमित रूप से नहीं रखा जा सका ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

05- अपीलकर्ता ने किसी भी प्रतिउत्तर-शपथपत्र का उल्लेख किए बिना पुनः-प्रत्याख्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और यह लेख किया है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति सहदेव सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात की गई थी, उसकी मृत्यु दिनांक 22.12.1992 को हो गई थी। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अतिरिक्त शिक्षक के रिक्त पद पर की गई थी और इस आशय का एक दस्तावेज संलग्न पी-14 प्रस्तुत किया है ।

06- विद्वान एकल न्यायाधीश ने आज्ञापित आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभ्यावेदन दाखिल करने से रिट याचिका दाखिल करने में देरी की व्याख्या नहीं हो सकती है और यह भी अभिनिर्धारित किया

है कि अपीलकर्ता को गैर-स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था और ऐसी नियुक्ति करने से पहले कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। यह भी अवलोकन किया गया कि सभी तीन स्वीकृत पद भरे गए थे इसलिए, अपीलकर्ता को स्वीकृत पद की अनुपस्थिति में नियमित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, बहाली का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

07- अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रतिउत्तर शपथपत्र के साथ संलग्नक पी-14 पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीना शास्त्री ने यह तर्क किया है कि उपरोक्त दस्तावेज इस तथ्य को स्थापित करता है कि अपीलकर्ता को रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलकर्ता को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था, और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता को गैर-स्वीकृत पद पर बिना किसी कोई विज्ञापन जारी किए नियुक्त किया गया था, जो कि विधि की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने/सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1983 के नियम 03 का हवाला देते हुए सुश्री शास्त्री ने तर्क किया है कि किसी भी जांच की कार्यवाही शुरू किए बिना किसी को भी सेवा से नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए जांच न करना एक स्वीकृत तथ्य है, इसलिए उत्तरवादीगण को यह निर्देश दिया जाना चाहिए की अपीलकर्ता को बहाल किया जाए, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलकर्ता को दिनांक 04.09.1999 के आदेश द्वारा नियमित किया गया है, इसलिए उत्तरवादीगण द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 03.07.2021 से उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति नहीं देने की कार्यवाही स्पष्ट रूप से मनमानी और अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08- उनके द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल में सभी शिक्षकों की नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन के प्रकाशित किये बिना की गई थी और ऐसी परिस्थिति में, जब अपीलकर्ता को नियुक्त किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 09.03.2020 को आदेश पारित किया था जिसमें उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 को एक अतिरिक्त शपथपत्र दायर करने और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रिक्तियां संबंधित प्रासंगिक मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था, यद्यपि इस तरह के अंतरिम आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और रिट याचिका के निराकरण के समय मामले के उपरोक्त पहलू पर भी

विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता सुश्री मीना शास्त्री ने यह भी तर्क किया है कि जब संलग्नक पी-14 का खंडन नहीं किया गया है, तो उसकी अंतर्वस्तु को उत्तरवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

09- उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ने प्रस्तुत किये गये प्रतिउत्तर शपथपत्रों में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुए तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया है ।

10- हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11- विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट कार्यवाही के दौरान, जैसा कि सुश्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, दिनांक 09.03.2020 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 को एक अतिरिक्त शपथपत्र दायर करने और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रिक्तियों की संख्या और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित सुसंगत मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12- रिट याचिका के अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायालय के दिनांक 09.03.2020 के आदेश के अनुपालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 17.06.2021 को एक अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति तथा दूसरे की पदोन्नति के कारण शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के दो पद रिक्त हो गए थे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर से अनुमति एवं अनुमोदन प्राप्त करने तथा विज्ञापन जारी करने एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा चयन प्रक्रिया के आधार पर एक शिक्षिका कु. पुष्पा कुजूर को शिक्षाकर्मी ग्रेड-III (गणित विषय) के पद पर नियुक्त किया गया तथा ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा दिनांक 07.02.2011 को किया गया, इसमें यह भी कहा गया है कि तीन स्वीकृत पदों पर एक शिक्षक कार्यरत है तथा दो पद रिक्त हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त शपथपत्र की

प्रति 17.06.2021 को प्राप्त हुई थी। तथापि, उपरोक्त अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का तथ्य पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न तो एकल न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया और न ही इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तथा इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किए जाने पर ही ऐसे शपथपत्र दाखिल किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया। तथापि, कु. पुष्पा कुजूर की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

13- प्रतिउत्तर-शपथपत्र का संलग्नक पी-14 जिस पर सुश्री शास्त्री ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया है कि अपीलकर्ता को उचित भर्ती प्रक्रिया का पालन करके स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था, एक अदिनांकित चार्ट है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। हालांकि, सुश्री शास्त्री द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिक्षकों की सभी नियुक्तियाँ बिना किसी विज्ञापन के की गई थीं और अपीलकर्ता को अलग कर दिया गया था।

14- भर्ती प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू होती है। रिट याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं है कि कोई विज्ञापन था जिसके तहत अपीलकर्ता ने आवेदन किया था। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क इस अर्थ में विरोधाभासी हैं कि संलग्नक पी-14 के आधार पर दावा करके अपीलकर्ता यह तर्क देना चाहता है कि उसकी नियुक्ति कानून में ज्ञात भर्ती प्रक्रिया का पालन करके की गई थी और साथ ही, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता सहित कोई भी नियुक्ति किसी भी विज्ञापन के जारी होने के बाद नहीं हुई थी, इसलिए, हम संलग्नक पी-14 पर कोई भरोसा नहीं करना चाहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि प्रत्युत्तर-शपथपत्र में भी अपीलकर्ता ने यह तर्क नहीं दिया था कि उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 द्वारा लिया गया यह रुख कि कोई विज्ञापन या चयन प्रक्रिया नहीं थी, सही नहीं है।

15- उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 के शपथपत्रों में यह तर्क दिया गया है कि सहायक अध्यापकों के तीन स्वीकृत पद हैं, जो अपीलकर्ता की नियुक्ति के समय भरे हुए थे।

16- नियुक्ति पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक-03 एवं 04 के शपथपत्रों में यह भी कहा गया था कि अपीलकर्ता को स्वीकृत पद की स्वीकृति मिलने की प्रत्याशा में गैर-स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन जब

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ऐसी स्वीकृति नहीं दी गई, तो अपीलकर्ता को उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और प्रभावी रूप से कक्षाएं लेने से रोक दिया गया था। नियमों के नियम 03 पर सुश्री शास्त्री द्वारा किया गया भरोसा गलत है क्योंकि नियम 03 केवल तभी लागू होता है जब कदाचार के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जबकि इस प्रकार का प्रस्तुत मामला नहीं है ।

17- रिकॉर्ड पर मौजूद तत्वों से पता चलता है कि अपीलकर्ता को गैर-स्वीकृत पद या दूसरे शब्दों में, गैर-मौजूद पद पर नियुक्त किया गया था। ऐसी नियुक्ति भी विज्ञापन आदि जारी करके उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। नियमितीकरण के आदेश दिनांक 04.09.1999 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि गैर-स्वीकृत पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में नियमितीकरण का आदेश मान्य नहीं होगा।

18- **अश्वनी कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1997) 2 एससीसी 1 के मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह स्वयंसिद्ध है कि जब तक कोई रिक्ति नहीं होती, तब तक उसे भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अनियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार की पुष्टि या नियमितीकरण का प्रश्न तब उठेगा जब संबंधित उम्मीदवार को अनियमित तरीके से या तदर्थ आधार पर किसी उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है जो पहले से ही स्वीकृत है। यदि प्रारंभिक प्रविष्टि स्वयं अनाधिकृत है और किसी स्वीकृत रिक्ति के विरुद्ध नहीं है, तो ऐसी गैर-मौजूद रिक्ति पर पदधारी को नियमित करने का प्रश्न कभी भी विचार के लिए नहीं बचेगा और यदि कोई कथित नियमितीकरण या पुष्टि दी जाती है, तो यह व्यर्थ की कवायद होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19- **उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम ममता मोहंती, (2011) 3 एससीसी 436** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार नियुक्ति का आदेश प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही गलत हो तो, इसे बाद में वैध नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 04.09.1999 का नियमितीकरण आदेश अपीलकर्ता को सेवा में बने रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है ।

20- उपरोक्त विवेचन से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता सेवा में बहाल होने का हकदार नहीं है।

21- हालांकि, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक-02 से 04 को दिए गए निर्देश से

सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में अनुरोध किए जाने की स्थिति में दिनांक 01.01.1996 से जुलाई 2001 तक की अवधि के लिए वेतन के भुगतान पर विचार किया जाए। उत्तरवादीगण ने यह तर्क नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.01.1996 से 02.07.2001 तक कोई सेवा नहीं की थी, बल्कि, यह कमोबेश एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 03.07.2001 से उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और कक्षाएं लेने से रोका गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता को उक्त अवधि के लिए वेतन देने से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित होगा। तदनुसार, हम सभी उत्तरवादीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को आज से 04 (चार) महीने की अवधि के भीतर दिनांक 01.01.1996 से 02.07.2001 तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जाए।

22- तदनुसार, रिट याचिका को ऊपर बताए अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित करके आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

23- कोई व्यय नहीं ।

(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधीश

(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**